

मध्यप्रदेश शासन  
पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, 462004  
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 28/10/2021

क्रमांक एफ-6-18/2021/पैतीस:: डॉ० बी.के.पटेल, सिविल सर्जन पन्ना तथा प्रभारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पन्ना द्वारा अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दि० 21.09.2021 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. डॉ० बी.के.पटेल, सिविल सर्जन पन्ना तथा प्रभारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पन्ना का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं सागर संभाग, सागर निर्धारित किया जाता है। डॉ० पटेल को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सुनील मड़ावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
भोपाल दिनांक 28/10/2021

MIS

28 OCT 2021

पु०क्रमांक एफ-6-18/2021/पैतीस  
प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, मान० मंत्रीजी पशुपालन भोपाल,
- 2/ निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग
- 3/ संचालक, पशुपालन मध्यप्रदेश, भोपाल,
- 4/ संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं सागर संभाग, सागर
- 5/ उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, सागर/टीकमगढ़/पन्ना,
- 6/ डॉ० बी.के.पटेल, सिविल सर्जन पन्ना तथा प्रभारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पन्ना - द्वारा संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7/ प्रभारी बेवसाइट, बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8/ स्टॉक फाईल.

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग

101/5/43  
29-10-21